

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एन-921/2019/

दिनांक

—: आदेश :—

श्री नरेन्द्र सिंह, नर्स द्वितीय (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुलवा, अजमेर का निम्न तिथियों का 91 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है -

1	दिनांक 10.01.2017 से 16.01.2017 तक	07 दिवस
2	दिनांक 01.02.2017 से 02.02.2017 तक	02 दिवस
3	दिनांक 04.02.2017 से 01.03.2017 तक	26 दिवस
4	दिनांक 05.03.2017 से 21.03.2017 तक	17 दिवस
5	दिनांक 11.04.2017 से 08.05.2017 तक	28 दिवस
6	दिनांक 12.05.2017 से 22.05.2017 तक	11 दिवस

91 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवधि के उपरांत उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।




(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एन-921/2019/380

दिनांक 29-03-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निजी सचिव, राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आईडी क्रमांक 69 दिनांक 11.03.2019 के क्रम में।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आईडी क्रमांक 1534 दिनांक 11.03.2019 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आईडी क्रमांक 331 दिनांक 28.02.2019 के क्रम में।
- 4 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- अजमेर।
- 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
- 6 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मसूदा अजमेर।
- 7 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुलवा अजमेर।
- 8 सबधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 10 आदेश पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर